न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कैलाश बनाम जस्साराम वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 463/2025 (अजमेर)

नि.ता.03
24/9/25

श्री भींयाराम चौधरी

कैलाश बनाम जस्साराम वगैरह (2025/436)

24.09.2025

यह अपील श्री भींयाराम चौधरी एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 48/2025 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें।

अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर मेरिट पर किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/ प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात दिनांक 06.08.2025 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई किन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर कोई आदेश पारित नहीं किये गये।

धीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है।

किन्तु माननीय उच्चतर न्यायालयो ने भी अपने अनेको न्यायिक दृष्टांतो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पक्षकारान के बीच विवादित आराजीयात के संदर्भ में सद्भाविक वाद–विवाद मौजूद है। अतः प्रकरण में वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से एवं वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित रखने हेतु उभयपक्ष को विवादित आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे जाने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार....

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कैलाश बनाम जस्साराम वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 463/2025 (अजमेर)

लगातार...	प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्षकारन को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें तब तक विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने के उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी०ए० संख्या 463/2025 जिला अजमेर

463/2025

1. कैलाश दत्तक पुत्र श्री काना जाति बावरी,
2. कल्ला पुत्र श्री रामदयाल जाति बावरी,
3. नरपत पुत्र श्री रामदयाल जाति बावरी,

समस्त निवासीगण ग्राम नरवर तहसील व जिला अजमेर।

-- अपीलांट्स

बनाम्

1. जस्साराम पुत्र श्री नीम्बाराम जाति बावरी,
2. प्रेम पुत्र श्री जगदीश जाति बावरी,
3. अमरचन्द पुत्र श्री जगदीश जाति बावरी,
4. कैलाश पुत्र श्री जगदीश जाति बावरी,
5. बिदामी पत्नी श्री जगदीश जाति बावरी,

समस्त निवासीगण ग्राम नरवर तहसील व जिला अजमेर हाल निवासीगण भंवरलाल रतनलाल बोरावड़ गढ़ के पीछे, बावरियों का मौहल्ला, मकराना तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन।

6. प्रेम पुत्री श्री रामदयाल जाति बावरी,
7. सीता पुत्री श्री रामदयाल जाति बावरी,
8. सुरज्ञान पुत्री श्री रामदयाल जाति बावरी,
9. पप्पू पुत्री श्री रामदयाल जाति बावरी,

समस्त निवासीगण ग्राम नरवर तहसील व जिला अजमेर।

10. रामस्वरूप पुत्र श्री हरजी जाति रेगर, निवासी ग्राम नरवर तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी घीसारामजी चौकीदारां की ढाणी माला चारणान तहसील परबतसर जिला डीडवाना-कुचामन।
11. राजस्थान जरिये सरकार तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर।
12. राजस्थान जरिये सरकार उपतहसीलदार अरड़का जिला अजमेर।
13. उपपंजीयन पंजीयन कार्यालय अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
14. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय अरड़का तहसील व जिला अजमेर।

-- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर मुख्यालय, अजमेर दिनांक 05.05.2025 प्रकरण संख्या 48/2025 बउनवानी कैलाश व अन्य बनाम जस्साराम वगैरह।

श्रीमान्‌जी,

अपीलांट्स अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित से निम्न निवेदन करता हैं :-

(अ) यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट्स ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92 ए, 188

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर (24.9.25)

2025/463 24.9.25

Scanned with CamScanner